महत्वपूर्ण एवं खास

गौ तस्करी करते 2 तस्करों को शिव सैनिक और बजरंग दल के सदस्यों ने दबोचा, 22 मवेशियों को किया जब्त

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के परपा थाना क्षेत्र में शिव सैनिक और बजरंग दल के सदस्यों ने 22 मवेशियों संग 2 तस्करों को धर दबोचा है। ये तस्कर गायों को गाड़ी में भर कर छत्तीसगढ़ से दूसरे शहर ले जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार, जिले के कुछ लोग गायों को गाड़ी में भर उसे दूसरे शहर से जा रहे थे। इस बात की खबर मुखबिरो से गो तस्करी की सूचना मिली जिसके बाद शिव सैनिक और बजरंग दल के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मौके पर पहुंचकर 2 तस्करों संग 22 मवेशियों को धर दबोचा है। बिलोरी सरपंच पांच और ग्रामीणों ने तस्करों से पूछताछ की थी लेकिन सच न बताने पर उन्होनें तस्कारों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है।

बारदाना का संकट खत्म करने प्लास्टिक बारदाना में होगी खरीदी

कांकेर (आरएनएस)। जिले में बारदाना का संकट खत्म करने के लिए अब प्लास्टिक बारदाना में धान की खरीदी होगी। शासन से 02 हजार गठान यानी 10 लाख नग प्लास्टिक का बारदाना धान खरीदी के लिए जल्द मिलने की उम्मीद है। अभी किसानों से 30 प्रतिशत नया और पुराना बारदाना के आधार पर धान ऋय केंद्रों में उपयोग में लिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चार दिनों के धान खरीदी में 01.33 लाख बारदाना किसानों से लिया गया है। नया बारदाना का उपयोग 01.37 लाख कर लिया गया है। पीडीएस का बारदाना 01.56 लाख लगा है। पुराना प्लास्टिक बारदाना एक भराव 09 हजार नग का उपयोग किया जा रहा है। बारदाना का भुगतान किसानों को 25 रुपए नग के दर से किया जाना बताया जा रहा है। बावजूद बाजार से किसानों को 35-40 रुपए में दिया जा रहा है।

33 किलों 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार, रेड की कार्रवाई के दौरान घर के आंगन से मिला 2 बोयिों में भरा गांजा

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर पुलिस ने डीडीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगोराभाठा इलाके में एक मकान में रेड की कार्रवाई के दौरान घर के आंगन में छिपाकर रखा हुआ मादक पदार्थ गांजा 33 किलों 500 ग्राम जब्त की है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को डीडीनगर पुलिस ने न्यू चंगोराभाठा में योगेन्द्र सिंह उर्फ योगी के मकान में गांजा मादक पदार्थ गांजा रखकर बेचने की सूचना पर रेड की कार्रवाही कर आंगन में रखा 2 अलग-अलग बोरियों से 25 किलों एवं 8 किलों 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 67000 रुपये आंकी गई है उसे जब्त की है। गांजा रखने के जुर्म में योगेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ योगी 31 वर्ष पिता शंकर सिंह ठाकुर के खिलाफ 20 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

सात आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठान भेजा गया

रायपुर (आरएनएस)। नगर निगम रायपुर के जोन 2 की टीम ने जोन कमिष्नर विनोद पाण्डेय के निर्देष पर जेल रोड, देवेन्द्र नगर मुक्तिधाम के पास, नारायणा हास्पिटल के सामने, मोदी छाया देवेन्द्र नगर के पास, सिटी सेन्टर मॉल के पास बस स्टैण्ड पंडरी के पास से 7 आवारा मवेषियों को काउकेचर वाहन की सहायता से पकडकर गौठान भेजने की कार्यवाही जनहित में जनसुविधा हेतु मार्ग में सुगम यातायात आमजनों को देने की। जोन 2 की टीम ने आज मेकाहारा हास्पिटल के पास स्ट्रीट वेण्डर्स, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से नमस्ते चैक तक के दोनो ओर के स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे कार्य नगर निगम आयुक्त प्रभात मलिक के आदेषानुसार किया गया। इन स्ट्रीट वेण्डर्स को डेंटल हास्पिटल से सामुदायिक भवन मौदहापारा के मध्य के चिन्हित स्थान में शीघ्र व्यवस्थित रूप से नगर निगम द्वारा व्यवस्थापित करने कार्यवाही की जायेगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किये जाने वाला द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 के लिए छग विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया। बैठक के पश्चात कैबिनेट मंत्री मो. अकबर ने अपने निवास में पत्रकारों को कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति नियम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी द में रियायती दर पर लैंड बैंक, अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया। सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट काष्ट आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स श्रेणी के

विकासखंडों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया।

श्री अकबर ने बताया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों में संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।

मंत्री श्री अकबर ने बताया कि डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।

उन्होंने बतायाकि आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

मंत्री ने बताया कि रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब, पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुर, बोरियाखुर्द, सरोना, हीरापुर, देवेन्द्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162, 21 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 15850 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।

पार्किंग विवाद को लेकर होटल कर्मी व बरातियों के बीच मारपीट

बिलासपुर (आरएनएस)। बाराती और होटल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट और विवाद का मामला सामने आया है। पार्किंग विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं। इस बीच होटल से लेकर सड़क तक जमकर मारपीट हुई है। घटना का सीसीटीवी फूटेज और वीडियो भी सामने आया है। इधर घटना के बाद पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में भी जमकर हंगामा हुआ है।दरअसल, घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जहां एक्सचेंज रोड स्थित एक होटल में सिंधी समाज के एक परिवार में शादी का कार्यक्रम था। इस बीच बारातियों में से एक ने होटल के सामने अपनी कार पार्क कर दी। होटल के पार्किंग स्टाफ ने उन्हें कार हटाने के लिए कहा, लेकिन कार सवार ने कुछ देर ठहरने की बात कही। इतने में होटल का स्टाफ भड़क गया और बहस करने लगा।इस बीच होटल के अन्य स्टाफ व बाराती भी आ गए और देखते ङ्क देखते विवाद इतना बढ़ा कि, मारपीट शुरू हो गई। होटल कर्मियों ने बारातियों को पिटाई कर दी। इस बीच होटल से लेकर सड़क तक दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई।इधर विवाद के बाद दोनों पक्ष रिपोर्ट लिखवाने सिविल लाइन थाने पहुंच गए। जहां बाराती पक्ष के शिकायतकर्ता को पुलिस ने थाने में बैठा दिया। जिसके बाद बारातियों ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। इस बीच थाने में भी जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान शहर विधायक शैलेश पांडेय भी थाने पहुंच गए।उन्होंने पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध करते हुए शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की हिदायत दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दिया है।

ओड़िशा से बाइक पर गांजा ला रहा आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा थाना सरिया का प्रभार लेने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर गांजा के अवैध परिवहन पर बीते रोज दूसरी कार्रवाई है, पिछले तीन दिनों में थाना प्रभारी के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों, सट्टा पर्ची लिखने वाले तथा मोटर व्हीकल पर कार्रवाई की गई है। ओड़िसा से गांजा के अवैध परिवहन को देखते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा बार्डर पर अपने मुखबिर सक्रिय कर चेकपोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ी की गई है जिससे कल दिनांक 07/12/2021 के बाइक पर ओडिसा से गांजा लेकर आ रहा तस्कर कंचनपुर बेरियर के पास पकड़ा गया।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 07/12/2021 के सुबह थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल के मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम एक व्यक्ति काला रंग के एच.एफ. डिलक्स बिना नंबर के मोटर सायकल के पीछे में सेव कार्टुन को बांध कर उडिसा की ओर से गांजा लेकर आ रहा है। थान प्रभारी द्वारा तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर तस्कर के भाग जाने के आंशका पर स्टाफ लेकर कंचनपुर बेरियर रवाना हुये जहां तैनात स्टाफ के साथ नाकेबंदी कर संदेही के आने का इंतजार किये। दोपहर करीब 03.00 बजे बिना नंबर एच.एफ. डिलक्स मोटर सायकल के पीछे में सेव कार्टून को बांध कर एक व्यक्ति आता दिखा जिसे सुरक्षापूर्वक रोककर स्टाफ द्वारा पुछताछ करने पर अपना नाम राजेंद्र मालाकार पिता चोकलाल उम्र 21 वर्ष साकिन बुलाकी थाना पुसौर हाल मुकाम धनगांव थाना पुसौर जिला रायगढ का होना बताया। राजेन्द्र मालाकार द्वारा मोटर सायकल के पीछे कार्टून में मादक पदार्थ गांजा होना एवं बिक्री हेतु उडिसा तरफ से लाना बताया, जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर काटून अंदर 10 पैकेट गांजा प्रत्येक पैकेट में 01 किलो ग्राम कुल वजन 10 किलो कीमती 50,000 रूपये पाया गया। आरोपी राजेन्द्र मालाकार द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करीब पाये जाने पर 10किलो गांजा व परिवहन में प्रयुक्त एचएफ डीलक्स सोल्ड मोटर सायकल कीमती 30,000 रूपये की जप्ती कर आरोपी पर धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल के साथ सहायक उप निरीक्षक विमल यादव, प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू, आरक्षक मोहन गुप्ता, भगत राम टंडन, राजकुमार साव की अहम भूमिका रही है।

ससकोबा में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलने से 10 गांवों के 840 किसान लाभान्वित

» किसानों को मिली सुविधा, परिवहन में लगने वाले समय व लागत की हो रही बचत

रायगढ़। शासन द्वारा धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ससकोबा में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोला गया है। शासन के इस निर्णय से ससकोबा सहित आसपास के 840 किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। इस केन्द्र में लगभग 10 गांवों के किसान अपने धान बेच रहे है, जो पहले अधिक दूरी तय कर सिसरिंगा उपार्जन केन्द्र पर धान विक्रय करने जाते थे। ससकोबा उपार्जन केन्द्र में धौराभांठा, रैरूमाखुर्द, बाकारूमा, चरखापारा, ससकोबा, गनपतपुर, भालू पखना,

रायमेर, पंचपेड़ी, किरियां तथा डूमरनारा के किसान यहां पर अपनी उपज बेच सकेंगे। पहले इन गांवों की उपार्जन केन्द्र से दूरी 12 किलो मीटर से लेकर 24 किलो मीटर तक होती थी। वहीं नये उपार्जन केन्द्र खुलने से 9 गांवों की अधिकतम दूरी 10 किलो मीटर रह गई है। वहीं डूमरनारा से पहले की तुलना में नवीन केन्द्र तक दूरी 4 किलो मीटर तक घट गई है। जिससे किसानों को धान परिवहन में लगने वाले समय व लागत में बचत हो रही है।

किसान बाबूलाल ने नवीन धान उपार्जन केन्द्र के बारे में फीडबैक देते हुए बताया कि ससकोबा में केन्द्र खुलने से किसानों को 15 से 20 किलो मीटर कम दूरी तय करनी पड़ रही है। जिससे किसानों का समय के साथ ट्रैक्टर में धान परिवहन के एक ट्रीप में 2 हजार रुपये तक की बचत हो रही है। यह किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय स्तर पर केन्द्र खुलने से धान की तौलाई व भराई कार्य से 40 से 50 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

सड़क हादसे में 3 की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के सकरी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में दो महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। मृतक सभी कैटरिंग का काम करने वाले हैं, जो बीती रात समारोह से काम खत्म करके बाइक में घर लौट रहे थे।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात चैतन्य वाटिका उसलापुर में एक शादी समारोह का कार्यक्रम था। इस समारोह में कैटरिंग का काम करके मोहम्मद बशीर दो महिला मजदूर के साथ एक बाइक में सवार होकर अपने अपने घर के लिए निकले थे। इस दौरान उसलापुर ओवर ब्रिज के ऊपर पहुंचे थे, तभी बिलासपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार वेगानार कार ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार बशीर खान, संगीता बाई एवं कारी बाई को गंभीत अवस्था में रात में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर तीनों की मौत हो गई। मृतक दोनों महिला तालापारा की रहने वाली थी। वहीं आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

परिजनों पर लाठीचार्ज के बाद थानों में अपने हथियार छोड़कर जा रहे हैं जवान

बीजापुर (आरएनएस)। नक्सल प्रभावित जिले के सहायक आरक्षकों के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी सूचना मीडिया के माध्यम से थाने तक पहुंचने के बाद बीजापुर जिले के मिरतुर थाने में पदस्थ लगभग 40 से अधिक जवानों ने अपने हथियार थाने में जमा करा दिया था। बीजापुर एसपी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जवानों को शांत कराया, बावजूद इसके बात बनते नहीं दिख रही है। जिले के अलग-अलग थानों में हथियार जमा कराने का सिलसिला जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर में पुलिस परिवार के साथ हुए मारपीट से आक्रोशित जवान जिले के अलग-अलग थानों में हथियार जमा कराने का सिलसिला जारी है। जिले के अलग-अलग थानों में पदस्थ जवानों का जिला मुख्यालय के लोहाडोंगरी के पीछे प्रशासन की बनाई वाटिका के बाजू में जमा हो रहे हैं। उनकी मांगें पूरी होते तक जवान आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे। पुलिस के आला अधिकारियों के समझाइश का असर भी इन जवानों पर नहीं दिख रहा है। कुटरू थाने में हथियार लेने से मना करने के बावजूद जवानों ने थाने में अपने हथियार छोड़कर जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जा रहा है।

उल्लेखनिय है कि नक्सलियों के विरूद्ध आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए बस्तर के युवाओं को तत्कालीन रमन सरकार में एसपीओ बनाया गया था। जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इससे जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसपीओ अब सहायक आरक्षक बन गए हैं। तत्कालीन रमन सरकार में यह लोग आंदोलन कर सुर्खियों में भी आए थे। इस बीच रमन सरकार की छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई, लेकिन अब भूपेश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी होगा आयोजन

रायगढ़। 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकृति के मामले, श्रमिक विधि से संबंधित मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामले, पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी से संबंधित मामलों के साथ-साथ इस बार भू-अर्जन (एन.टी.पी.सी.लारा) से संबंधित ऐसे प्रकरणों को भी रखा गया है, जिसमें एक ही भू-खण्ड को कई छोटे-छोटे भू-खण्डों में विक्रय कर, उसकी मुआवजा राशि प्राप्त की गई है। ऐसे प्रकरणों के विक्रयपत्र को शून्य घोषित करवाने के लिये छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा-कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रायगढ़ की ओर से प्रस्तुत वाद को प्रमुखता के साथ रखा जा रहा है, इसलिये इससे संबंधित जो भी पक्षकार, जिनका प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है या प्रस्तुत होना है, वे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर शासन के द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे प्रकरणों में आपसी राजीनामा कर, प्रकरणों का निपटारा करा सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत में कुछ ऐसे भी प्रकरणों को भी रखा गया है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता के द्वारा दिये गये अवार्ड में समुचित स्टाम्प शुल्क न होने के कारण प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिये ऐसे मामलों में भी संबंधित फाइनेन्स कंपनी द्वारा लोक अदालत में निर्धारित शुल्क 500 रुपये को जमा कर पक्षकार प्रकरण में राजीनामा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व से संबंधित सभी मामले राजस्व न्यायालयों में रखे जा रहे हैं। इसलिये यदि किसी पक्षकार का मामला राजस्व न्यायालय में लंबित है, तो वह अपने मामलों का निराकरण आयोजित इस लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।

नेशनल लोक अदालत के आयोजन में कोरोना एवं अन्य संक्रामक बीमारियों को देखते हुए, न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। पक्षकार अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-299190 के माध्यम से भी सम्पर्क कर सकते हैं।